

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 188/2025

तारीख रजू :- 28/07/2025

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2025/440

उनवान



दयालसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

—वादी

बनाम

बनवारी पुत्र दलगंजी जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—प्रतिवादीगण-10

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|------------|---|
| 28-07-2025 | <p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली </p> <p> 4/9/25 आज पत्रावली पेश हुई नाडी इयालसिंह ने दि० 26/8/2025 को अर्चना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि लोक अदालत की भावना के चलते पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है अब पक्षकार (मुकदमा) लड़ना नहीं चाहते हैं अतः इसी स्टेज पर निहारित कराना चाहते हैं पत्रावली पर स्वीकार प्रमाण जमा कर Not Press परमाण्वी इजाजत उदाहरण करें। </p> <p> अतः मु० नं० 188/2025 उनवान इयालसिंह बनाम बनवारी पुत्र दलगंजी दावा कावत इतिहास एक एवं स्थायी निषेधाज्ञा को Not Press में खारिज किया जाया है पत्रावली के साथ उमाट होकर यदि तकमील नमाल के काम की जमात इच्छित इफ्तल हो अतः अदेश कुल स्थापानप में (मुकदमा) </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली) </p> |